

मोदीनगर

5. प्रमुख भू-उपयोग जोन्स में विभिन्न कियाओं (Activities) की अनुमन्यता

संकेताक्षर

★ आवा. : आवासीय	★ परि. : परिवहन	★ हरि. प. : हरित पट्टी
★ व्यव. : व्यवसायिक	★ सू. प्रौद्योगिकी	★ ग्रा.निक्षे. : ग्रामीण निर्मित क्षेत्र
★ कार्या. : कार्यालय	★ नॉ. पार्क : नॉलेज पार्क	★ ग्रा. वि. : ग्रामीण विस्तार
★ सुवि. : सामुदायिक सुविधाएं एवं सेवाएँ	★ सं. हरि. : संरक्षण हरित	
★ सि. सै. : सिटी सेंटर	★ पार्क : पार्क एवं खुले क्षेत्र	

संकेत

अनुमन्य उपयोग	
सशर्त अनुमन्य उपयोग	
विशेष अनुमति से अनुमन्य उपयोग	
निषिद्ध उपयोग	

कियाएं (Activities) / उपयोग

1	निर्मित क्षेत्र	भू-उपयोग जोन्स															
		आवा.	व्यव.	उद्योग	कार्या.	सुवि.	सि. सै.	परि.	पार्क	सू. प्रौद्यो	नॉ.पार्क	सं. हरि.	मनोरंजन	हरि. प.	कृषि	ग्रा.निक्षे.	ग्रा. वि.
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1. आवासीय																	
1.1 एकल आवास																	31
1.2 समूह आवास (ग्रुप हाउसिंग)																	31
1.3 सम्बन्धित कर्मचारी / चौकीदार / संतरी आवास																	21
2. व्यवसायिक																	
2.1 फुटकर दुकानें (संलग्न सूची के अनुसार)																	30
2.2 शोरूम																	30
2.3 साप्ताहिक बाजार																	6
2.4 थोक मण्डी / थोक व्यापार																	6
2.5 नीलामी बाजार																	6
2.6 बेकरी एवं कनफैक्शनरी, आटा चक्की																	6
2.7 कोयला तथा लकड़ी के टाल																	6
2.8 कृषि उपजों के विक्रय केन्द्र																	6
2.9 शीतागृह																	6
2.10 रिसॉर्ट																	6
2.11 होटल																	8
2.12 मोटर, वे-साइड रेस्टरां (डाबा)																	8
2.13 भोजनालय, जलपान गृह, रैस्टोरेन्ट, कैन्टीन																	
2.14 सिनेमा, मल्टीप्लेक्स																	
2.15 अस्थाई सिनेमा, सकंस, प्रदशनी, मेला स्थल																	25

टिप्पणी 1. संशोध अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबंधों के लिए भाग-3 का संदर्भ ले।

2 Upto 10% Covered area and 0.20 FAR shall be permissible for the activities permitted in the Agriculture Land Use by "Special Permission"

क्रियाएं (Activities) / उपयोग		निर्मित क्षेत्र	भू-उपयोग जोन्स विकासशील/अविकसित क्षेत्र															
1	2		आवा.	व्यव.	उद्योग	कार्या.	सुवि.	सि. सै.	परि.	पार्क	सू. प्रौद्यो	नॉ.पार्क	सं. हरि.	मनोरंजन	हरि. प.	कृषि	ग्रा.निक्षे.	ग्रा. वि.
5.6 हैण्डीकॉफ्ट यिल्डिंग हाउस	6	6	6														6	6
5.7 शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र																		
5.8 वृद्धावस्था देखभाल केन्द्र																		
5.9 प्राथमिक शैक्षिक संस्थान	6	6	6															
5.10 उच्च माध्यमिक, इंटर	6	7															7	8
5.11 विश्वविद्यालय / महाविद्यालय																		
5.12 पालीटेक्निक, इंजीनियरिंग, मेडिकल / डेन्टल कालेज कम अस्पताल																		
5.13 प्रबन्धन संस्थान / विशिष्ट शैक्षिक संस्थान																		
5.14 डाकघर, तारघर																		
5.15 पुलिस स्टेशन / चौकी, अग्निशमन केन्द्र																		
5.16 पुस्तकालय / वाचनालय																		
5.17 स्वास्थ्य केन्द्र, परिवार कल्याण केन्द्र, डिस्पेन्सरी	10																	
5.18 अस्पताल	11																23	11
5.19 नर्सिंग होम	10																	10
5.20 नैदानिक प्रयोगशाला																	23	
5.21 हेल्थ वलब / जिमनेजियम																		
5.22 विद्युत शवदाह गृह, श्मशान, कब्रिस्तान																		
5.23 संगीत / नृत्य एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र	6																6	6
5.24 सिलाई, बुनाई, कढाई, पेणिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि																		
5.25 आडिटोरियम, नाट्यशाला, थिएटर																	22	
5.26 योग, मनन, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र / सत्संग भवन	6																22	
5.27 धार्मिक भवन	6																6	6
5.28 सामुदायिक केन्द्र, सांस्कृतिक केन्द्र	6																6	6
5.29 बारातघर, बैवर्येट हाल																		
5.30 कान्फ्रेंस / मीटिंग हाल	6																	
5.31 अजायबघर																		
5.32 आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी केन्द्र	22																22	
5.33 टेलीफोन, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय / केन्द्र																		
5.34 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, शोध केन्द्र																		
5.35 समाज कल्याण केन्द्र																		

टिप्पणी 1. संशोध अनुमत्य उपयोगों की अनुमत्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग-3 का संदर्भ लें।

2 Upto 10% Covered area and 0.20 FAR shall be permissible for the activities permitted in the Agriculture Land Use by "Special Permission"

क्रियाएं (Activities) / उपयोग		निर्मित क्षेत्र	भू-उपयोग जोन्स विकासशील/अविकसित क्षेत्र															
1	2		आवा.	व्यव.	उद्योग	कार्या.	सुवि.	सि. से.	परि.	पार्क	सू. प्रौद्यो	नॉ.पार्क	सं. हरि.	मनोरंजन	हरि. प.	कृषि	ग्रा.निक्षे.	ग्रा. वि.
6. सार्वजनिक उपयोगिताएं						15		15										
6.1 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, कूड़ा डम्पिंग ग्राउण्ड इत्यादि																		
6.2 दयूब-वैल, ओवर हेड रिंजवायर, विद्युत केन्द्र/सब-स्टेशन																		
6.3 बाटर वर्क्स																		
6.4 माइक्रोवेव केन्द्र																		
6.5 कम्पोस्ट प्लान्ट																		
6.6 पशुवधशाला																15	15	
6.7 सैल्यूलर/मोबाइल टावर																		
7. यातायात एवं परिवहन																		
7.1 पार्किंग स्थल																		
7.2 टैक्सी, टैम्पो, रिक्षा आदि के स्टैण्ड																		
7.3 ट्रान्सपोर्ट नगर, बस डिपो																		
7.4 बस स्टैण्ड	7		7	8	7			7	17	17							7	7
7.5 बस टर्मिनल					9													
7.6 मोटर गैराज, सर्विस गैराज तथा वर्कशाप	7																6	6
7.7 मोटरचालन प्रशिक्षण केन्द्र																		
7.8 लोडिंग-अनलोडिंग सम्बन्धित सुविधाएं	7															22		
7.9 रेलवे गोदाम, रेलवे यार्ड/साइडिंग/टर्मिनल																		
7.10 धर्मकाँटा	7																6	6
7.11 एयरपोर्ट																		
8. पार्क, क्रीड़ा/खुले स्थल																		
8.1 पार्क, क्रीड़ा स्थल/खेल का मैदान																		
8.2 बहुउद्देशीय खुले स्थल	7		7														7	7
8.3 गोल्फ/रेसकोर्स																		
8.4 स्टेडियम/खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र																		
8.5 कारवां पार्क, पिकनिक स्थल, शिविर स्थल														22				

टिप्पणी 1. सर्वांत अनुमन्य उपयोगों की अनुमन्यता हेतु निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के लिए भाग-3 का संदर्भ लें।

2 Upto 10% Covered area and 0.20 FAR shall be permissible for the activities permitted in the Agriculture Land Use by "Special Permission".